न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट), नैनीताल।

पीठासीन अधिकारी – संजीव कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–32/2026
CNR No.UKNA01-000222-2026

सरकार बनाम चन्दन सिंह मेहता

प्रार्थी/अभियुक्त– चन्दन सिंह मेहता पुत्र मोहन सिंह मेहता,
निवासी–खुरियाखत्ता नम्बर 12, बिन्दुखत्ता,
थाना–लालकुऑ, जिला–नैनीताल।

मु0अ0सं0–174/2025
धारा–8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना–लालकुऑ, जिला–नैनीताल

दिनाकः 07–07–2026

वाद पुकारा गया। अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता न्यायिक अभिरक्षा में कारागार से न्यायालय में उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्रीमती पूजा साह उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती हेमा शर्मा उपस्थित है।

2. अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता का जुर्म संस्वीकृति प्रार्थना पत्र कागज सं0 24 क दिनांक 07.07.2026 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म को स्वेच्छया से स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र पर पुर्नविचार करने का अवसर दिया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्म संस्वीकृति किये जाने के आधार पर अपने प्रार्थना पत्र कागज सं0 क पर बल दिया गया।

3. अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र कागज सं0 24 क इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त अपने मामले का निस्तारण जुर्म इकबाल के आधार पर कराना चाहता है। वह बिना किसी दबाव के स्वेच्छया से अपने जुर्म का इकबाल करता है। अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध लम्बित मामले को उसके जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियुक्त को जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र कागज सं. 24 क पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता ने अपना जुर्म स्वीकार प्रार्थना पत्र कागज सं0 24 क प्रस्तुत किया है तथा अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष स्वेच्छया व बिना किसी दबाव के अपना जुर्म स्वीकार करने का कथन किया है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र पर पुर्नविचार करने का अवसर भी प्रदान किया गया, परन्तु अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र पर पुनः विचार करने के उपरान्त स्वेच्छया से जुर्म इकबाल किये जाने का कथन किया गया एवं अपने जुर्म इकबाल प्रार्थनापत्र 24 क पर बल दिया गया। अभियुक्त के जुर्म इकबाली बयान भी अंकित किये गये। ऐसी स्थिति में अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता को उसके द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(संजीव कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
नैनीताल ।

<u>पुनश्चः</u>– लंच बाद

5. पत्रावली पुनः पेश हुई। सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त द्वारा सजा के प्रश्न पर कथन किया गया कि प्रार्थी एक गरीब परिवार से है तथा परिवार में वह अकेला कमाने वाला व्यक्ति, उसके अतिरिक्त उनके परिवार का भरण पोषण करने वाला अन्य कोई नहीं है। वह भविष्य में ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करेगा। अतः उसे कम से कम सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई। वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से अभियुक्त को अधिकतम सजा व जुर्माने से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

6. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता द्वारा स्वेच्छया से अपने जुर्म को स्वीकार किया है और वह इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में लगभग 10 माह, 07 दिन निरूद्ध रहा है। यह मामला अभियुक्त के कब्जे से 9.84 ग्राम स्मैक बरामद होने पर अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता के विरूद्ध

धारा–8/21 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत थाना लालकुआँ में अभियोग पंजीकृत हुआ। अभियुक्त से बरामद स्मैक न्यूनतम मात्रा से थोड़ा अधिक है परन्तु व्यवसायिक मात्रा से बहुत कम है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि अभियुक्त उपरोक्त को निम्नवत दण्ड से दण्डित किया जाये तो न्याय की मंशा पूर्ण हो जाती है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त चन्दन सिंह मेहता को धारा–8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में 01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से एवं मुब. 10,000/–रू. (दस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा ना करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि सजा में समायोजित की जाती है।

अभियुक्त प्रस्तुत मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर सम्बन्धित कारागार को भेजा जाये। माल मुकदमाती यदि कोई हो तो नियमानुसार निस्तारण हेतु सम्बन्धित समिति के समक्ष रखा जाए।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

दिनाक : 07.07.2026

(संजीव कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.एक्ट)
नैनीताल।